# बेटा और बेटी एक समान क्यों नहीं है ?

एक दिन की बच्ची की हत्या, जिंदा बच्चों का दफ़न करते हुए पकड़ा गया, एक दिन के बच्चे का गला घोंट दिया, और बच्ची को मां ने झाड़ी में फेंक दिया। ऐसे अखबारों में आयी खबरें। इन घटनाओं में जिन बच्चों की हत्या का प्रयास किया गया वे सारी लड़कियां थी। क्या कहती है ये सब घटनाऐं? यही कि लड़की को जन्म लेने जन्म लेने का अधिकार नहीं, आखिर ऐसा क्यों?

किसी से पूछो कि आप बेटी और बेटे में अन्तर करते हैं तो जवाब ना में ही आता है। सभी यही कहते हैं कि बेटा बेटी एक समान। सुनकर भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब इस समानता को व्यावहारिक जीवन में उतारने की बात आती है तो लोग अपने पांव पीछे खींच लेते हैं। एक नारी अपने ही समान दूसरी अंश को जन्म देने में कतराती है? जब वह अपने ही बच्चे को जन्म देती है और अगर बेटी हुई तो उसके आत्मा में एक दुविधा सी क्यों रहती है?

भारत में महिलाएं लोकसभा अध्यक्ष से लेकर कई राज्यों की मुख्यमंत्री, राजनीतिक पार्टियों की मुखिया और हर क्षेत्र में लड़के की अपेक्षा लड़कियां हर ऊंचे-ऊंचे पदों पर पहुंच रही हैं। पहले तो अल्ट्रासाऊंड करवाकर गर्भ में ही मार देना चाहती है। किसी कारण वश गर्भ में पता नहीं चलने पर लड़की जन्म लेने के बाद बोरी में लपेटकर झाड़ियों में फेंकने की

खबर बराबत आती है। आखिर उसकी गलती क्या है? सिर्फ यही, कि वह एक बेटी है। आज तक कहीं भी यह सुनने को नहीं मिला कि कहीं लड़का भी इस हालत में फेंका गया है, तो फिर बेटा-बेटी एक समान कैसे हो सकता है।

नारी एक जननी मां है। वह मां अपने बच्चे को जन्म देती है उसे नौ महीने तक अपने कोख में रखती है। फिर जन्म देती है चाहे लड़का हो या लड़की कितनी पीड़ा और कष्ट से उस बच्चे को जन्म देती है? समाज में लोग किसी बात पर इस शब्द का उपयोग करते हैं। बांझ की जान प्रसव के पीड़ा। यह बहुत ही आश्चर्य की बात है कि मां बच्चे को जन्म देकर उस पर अपना पुरा प्यार से लेकर सब कुछ दे देती है वहीं यह देखने पर ऐसा लगता है कि वह किस भय के कारण अपने ही बच्चे को फेंक देती है? क्या समाज उसे हीन दृष्टि से देखेगा? क्या वह दोषी कहलायेगी? या न्यायालय उसे दण्ड देगा? जब कि कहा गया है कि नारी का हृदय बहुत ही कोमल होता है।

**राष्ट्र कवि मैथली शरण गुप्त ने लिखा है।**

**सब कहते आतें थे नर देही, पुत्र कुपुत्र भले ही पर माता न कुमाता**

**हाय विरूद्ध विधाता,रहे पुत्र, पुत्र ही पर रहे कुमाता माता,**

जहां एक तरफ देवी, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, और नव दुर्गा की पूजा होती है वहीं एक तरफ मासुम बच्ची को जन्म के तुरन्त बाद उसी की मां, उसे झाड़ियों में फेंक देती है। यह मां नहीं होकर हत्यारी है। वेदव्यास जी का लिखा हुआ महाभारत में एक ऐसी घटना कुंती के साथ हुई, तो यह इतिहास बन गया। कुन्ती तो समाज और कलंक के भय से अपना पुत्र को जन्म देकर गंगा में बहा दी थी। बाद में कर्ण को जब यह पता चला है कि कुंती मेरी मां है, तो वह कुन्ती को नागीन, घमंडी और ही तरह-तरह की बातें कहा है। क्या समाज उसे कलंकित करेंगे? कभी नहीं। लड़की पैदा करना कोई अपराध है? अपराध तो उस मासुम बच्ची को हत्या करने पर है। जन्म के बाद बच्चे मां की गोद में पलक खोलते हैं उस हत्यारी मां, के बच्चे झाड़ियों में अपना पलक खोलते हैं। जिस तरह से नागिन अपने बच्चों को जन्म देकर खुद वह उसे खा जाती है। इसी तरह से जो मां अपने बच्चे को जन्म देकर फेंक देती है वह मां नहीं नागीन है।

## तुर्की-ब-तुर्की

न्यायमूर्ति मार्कंडेकाटजू
चेयरमैन पी सी आई

अन्य पेशों जैसे चिकित्सा, कानून या शिक्षा के मुकाबले, पत्रकारिता में घुसने के लिये किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। लिहाजा बिना या अपर्याप्त प्रशिक्षण वाले पत्रकारिता पेशे में घुस जाते हैं, इससे नकारात्मक असर पड़ता है, क्योंकि ऐसे अप्रशिक्षित लोग पत्रकारिता के उच्च मानदंडों को नहीं निभाते।

**हमारा कहना है**

- माननीय जसटिस काटजू, जो बात आज आप प्रेस के मानदंडों को लेकर कह रहे हैं, क्या अपने लम्बे न्यायिक सेवाकाल में आपने अपने साथी वकीलों एवं जजों के बारे में कभी कही है? क्या प्रशिक्षित जर्नलिस्ट भी पेशे के मानदंडों की पालना कर रहे हैं?
- क्या बड़े बडे अखबारों एवं टी वी चैनलों में निहित स्वार्थों द्वारा खबरें, टिप्पणियां पैसे दे कर नही लगवाई जा रहीं? इन संस्थानों में तो आला दर्जे के शिक्षित-प्रशिक्षित लोग कार्यरत हैं।
- यदि डिग्री का पेशे के उच्च मानदंडों से कोई सम्बन्ध होता तो जसटिस काटजू के अपने पेशे- कानून व न्याय-के मानदंड इतने गिरे हुए कैसे हैं? संविधान में 'कानून के समक्ष बराबरी' का सिद्धान्त सर्वोपरि होते हुए भी, न्याय पैसे एवं प्रभाव वालों के हाथ की कठपुतली न बन गया होता।

बरखा दत्त, ग्रुप एडिटर
एनडो टी वी

जर्नलिस्ट का सबसे बढिया प्रशिक्षण फ़ील्ड में होता है। यह ठीक है कि जर्नलिस्ट के मानदंड एवं गुण वत्ता में गिरावट आई है लेकिन इसका हल केवल डिग्री निर्धरण से नहीं होगा।

**हमारा कहना है**

- हल क्या है, जरा यह भी तो बताइये टी वी जर्नलिज़्म की लीडरों से आप जैसे लोग करोड़ों कमा रहे हैं, क्या आपका यह कर्त्तव्य नहीं कि बड़े अखबारों एवं बड़े टी वी चैनलों द्वारा पेडन्यूज के व्यापक चलन को उजागर करें?
- तमाम शहरों / कस्बों में कुकरमुत्तों की तरह उग आये पत्रकारों की कारसतानियां किसी से छिपी नहीं हैं। इन्हें प्रश्रय देने वाले तमाम अखबारों/ टी वी चैनलों द्वारा ज़्यादातर कोई मान्य वेतन/ भत्ता इत्यदि नहीं दिश जाता बदले में उन्हें ब्लैंक मेल के माध्यम से अपनी रोज़ी रोटी चलाने की खुली छूट रहती है। साथ ही वे अपने आकाओं के लिये विज्ञापन एवं दूसरे शिकार भी जुटाते हैं। इन सब पर, माननीय बरखा दत्त जी, आप जैसों की खामोशी किस ओर इशारा करती है?
अगर जसटिस काटजू द्वारा बताया निदान गलत है तो बिमारी को लाइलाज बनाने में आप जैसों की खामोश सहमति को क्या कहा जाये?

## दिल्ली की नीरो की सलाह : बिजली कम, पानी कम, रोटी कम

दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने बढे हुये बिजली के बिलों का रोना रोने वालों को सलाह दी है कि वे बिजली की खपत कम करें। ''दो बल्ब जलाते हैं तो एक जलायें। कूलर की जगह पंखे से काम चलायें।'' सत्ता के नशे में चूर और बिजली कंपनियों से मिली रिश्वत का बदला चुकाने को मज़बूर इन मोहतरमा को अब कौन समझाये कि बेचारे ग़रीब तो पहले से ही एक ही बल्ब से काम चला रहे हैं। बिल बिजली के रेट बढ़ने से बढ़े हैं ना कि खपत से। दिल्ली वासियों सावधान इन महोदया के पास कहीं कपड़े महंगे होने का दुखड़ा लेकर मत पहुंच जाना वरना सुनने को मिलेगा कि 'दो दो कपड़े पहनने की क्या जरूरत है-या तो सलवार ही पहन लो या फिर बस कमीज!' क्यों कि बिल कम करना है तो खपत कम कीजिए।

मुख्यमंत्री महोदया ने यह भी फरमाया है कि पहले आपको पांच छ: घण्टे बिजली मिलती थी अब हम आपको चौबीसों घण्टे बिजली दे रहे हैं तो बिल तो ज़्यादा आयेगा ही। बिल कम करने के लिये आप बिजली कम जलाइये। अगर दस घण्टे जलाते हैं तो पांच छ: घण्टे जलाइये। यानि पुनर्मुश्को भव:। यानि डेसू 3000 करोड़ की सब्सिडी लेकर पांच छ: घण्टे बिजली देता था, जिसमें झुग्गी वाले थोड़ी बहुत फ्री भी जला लेते थे, तो वो इन्हें मंजूर नहीं हुआ। हां प्राइवेट बिजली कंपनियों को 3000 करोड़ की सब्सिडी देकर आपको वही पांच छ: घण्टे बिजली देना ये अपनी उपलब्धि मानती है और गिनाती है। शायद ये सोचती है कि ग़रीबों के पास पैसा नहीं होता तो उनके पास अक्ल भी नही होती।

दिल्ली में पिछले दिनों पानी के बिलों में भी बेतहाशा वृद्धि हुई है। किसी-किसी के विल तो लाखों रुपया के आये हैं। हो सकता है उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड से कहकर यमुना नदी का बहाव अपने घर में से करवा लिया हो। पर वैसे तो उसमें भी अब इतना पानी नहीं है जो इतना बिल आ जाये। मुख्यमंत्री कहती है कि हमने नये मीटर लगाये हैं जो सही रीडिंग देते हैं लिहाजा बिल तो उसके अनुसार यानि ज्यादा ही आयेगा। मुख्यमंत्री जी ध्यान रखना वोटों पर ऐसा कोई मीटर नहीं लगता कि लगवा लिया और चुनाव में ज्यादा ही वोट आयें। वो मीटर जनता खुद बनाती है और अगले साल उसकी रीडिंग ली जायेगी। तैयार रहना।

बताते हैं कि जब रोम जल रहा था तो उसका शासक नीरो चैन से बंसी बजा रहा था। और भूखे नंगो के विरोध प्रदर्शन को देखकर रानी ने पूछा था कि ये लोग क्यों चिल्ला रहे हैं। बताया गया कि इनके पास रोटी नहीं है ये भूखे हैं। तो रानी ने कहा कि तो ये केक क्यों नहीं खा लेते। हमारी महारानी भी भूखो लोगों को केक खाने की सलाह दे रही है।

-अजात शत्रु

## जापान में अपराध स्वीकार करते हैं बेगुनाह लोग

हमारे देश में सबको पता है कि पुलिस सच कैसे उगलवाती है। लेकिन हाल ही में जापान में कई ऐसे मामले सामने आये हैं। जिनमें पुलिस ने लोगों से अपराध स्वीकार करवाया, उनकी गिरफ़्तारी हुई और बाद में वे बेगुनाह साबित हुए। याकोहामा की एक वेबसाइट पर किसी प्राथमिक विद्यालय पर हमला कर सभी बच्चों को मार डालने की धमकी वाला पोस्ट डालने के जुर्म में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ़्तार किया। इस गिरफ़्तारी में 19 साल का एक युवक भी हिरासत में लिया गया जिसने अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया। लेकिन 9 अक्टूबर को असली अपराधी ने योजी ओचिआई नाम के एक वकील को ईमेल भेजा कि कैसे वायरस के जरिये किसी दूसरे के नाम से वे इस तरह के धमकी भरे ईमेल भेजते हैं। सवाल उठना लाजमी था कि आखिर एक बेगुनाह किन परिस्थितियों में उस अपराध को स्वीकार करने के लिये तैयार हो गया जो उसने किया ही नही था? ओचियाई का कहना था कि मुझे इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि मासूम और बेगूनाह लोगों को अपराध स्वीकार करना पड़ रहा है। पिछले सालों में इस तरह के कई मामले सामने आये हैं।

ऐसे ही एक अन्य मामले में हत्या और डकैती के जुर्म में शोजी सकुराई को 29 साल तक जेल में रहना पड़ा। शोजी को जब गिरफ़्तार किया गया था तो उनकी उम्र 20 साल थी और अपनी बेगुनाही साबित करने में उन्हें 15 साल और लग गये। उन्हें और उनके एक मित्र सुगियामा को हत्या का मुख्य अभियुक्त बना दिया गया और उनके साथ वैसा ही बर्ताव किया गया जैसा असली अपराधी के साथ होता है। उन्होंने बताया कि पुलिस मुझसे दिन-रात सवाल-जवाब करती रही और पांच दिन बाद जब मेरे पास मानसिक ताकत नहीं बची तो मैंने अपराध स्वीकार कर लिया।

**शेष पेज 2 पर**